


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2322/2007जिला.....जयपुर.....

उनवान - मैसर्स केडिया एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम उपायुक्त अपील चतुर्थ, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.01.2017	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>के.एल. जैन, सदस्य</u></p> <p>विभागीय प्रतिनिधि श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। वकील अपीलार्थी श्री अलकेश शर्मा द्वारा अपीलार्थी की अपील विद्झा करने के संबंध में अपीलार्थी का हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र के जरिये अपीलार्थी ने निवेदन किया कि वे एमनेस्टि योजना, 2016 लाभ लेना चाहते हैं तथा अपील को ओर आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रस्तुत अपील विद्झा करने का निवेदन किया।</p> <p>विभागीय पैराकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील जरिये विद्झावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	